भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4999

01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

शहीदों की विधवाओं के लिए कल्याण योजना

4999. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धरः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के शहीदों की विधवाओं/परिवारों के लिए वर्तमान में किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों की कभी समीक्षा की है या समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने शहीदों की विधवाओं/रक्षा कर्मियों के परिवारों को उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुकंपा के आधार पर कोई रोजगार दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) जी, हाँ।

(ख) 1. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रशासित मौजूदा कल्याण स्कीमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

(i) भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)/विधवाओं के 100% विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की योजना केवल हवलदार (अथवा नौसेना और वायु सेना के समतुल्य) तक और इससे नीचे के रैंक के लिए लागू थी। इसी को कनिष्ठ कमीशन अधिकारी (जेसीओ), ईएसएम/विधवाओं और (नौसेना और वायु सेना के उनके समतुल्य रैंक) तक विस्तारित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 1000 रु. प्रतिमाह के पूर्व अनुदान को बढ़ाकर 3000 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

2. सेना मुख्यालय भी दिवंगत सैनिक/युद्ध विधवाओं के परिवारों के लिए उत्तम संभाव्य सहायता प्रदान करने हेतु अपनी योजनाओं में परिवर्तन करते हैं। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने आईएएफ में अफसरों के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन किया हैः

(i) फ्लाइंग ब्रांच जिसके लिए सेना मुख्यालय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करेंगे, को छोड़कर कमीशन पूर्व-प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय पर दिवंगत रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए पात्रता की आयु सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 35 वर्ष कर दिया गया है।

(ii) विधवाओं जिनके बच्चे हैं को स्वीकार किया जाएगा।

(ग) जी, हाँ। थलसेना, नौसेना और वायु सेना के संबंधित सेना मुख्यालयों द्वारा रक्षा कर्मियों की विधवाओं/ परिवारों को अनुकंपा नियुक्तियाँ दी जा रही हैं।

(घ) रक्षा कर्मियों की विधवाओं/ परिवारों को निम्नलिखित संख्या में अनुकंपा नियुक्तियाँ दी गई हैं:

वायु सेना : 30 (2016 से)

नौसेना : 35 (2014 से)

थलसेना : अनुकंपा नियुक्तियाँ संबंधित लाइन निदेशालयों द्वारा दिए जाने के कारण अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, लागू नहीं है।

*****